<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-1/</u>

<u>विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम. एल. ए., हमीरपुर</u>

पीठासीन अधिकारी- (चन्द्रभान सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा) -UP06180

UPHM010033912022

<u>दाण्डिक अपील सं0- 28/2022</u>

1- छोटेलाल प्रजापति पुत्र रामाधीन

2- लक्ष्मीनारायन पुत्र गोकुल प्रसाद

निवासीगण कस्बा व थाना मौदहा, जिला हमीरपुर, उ०प्र०।

..............अपीलार्थीगण।

बनाम

राज्य उ०प्र०। **..............उत्तरदाता।**

अन्तर्गत धारा-374(3) द.प्र.सं.

थाना मौदहा, **जिला** हमीरपुर

तथा

UPHM010035692022

<u>दाण्डिक अपील सं 0- 30/2022</u>

1- रामदेव सिंह आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र गुरुप्रसाद सिंह

2- ओमप्रकाश सिंह आयु लगभग 65 वर्ष पुत्र गुरुप्रसाद सिंह

3- जयकरन सिंह उम्र लगभग 80 वर्ष पुत्र श्री रंजीत सिंह

4- शिववीरेन्द्र भटनागर उम्र 71 वर्ष पुत्र श्री पी०सी० भटनागर

5- विवेक द्विवेदी उम्र 55 वर्ष पुत्र जगतनारायन

6- सुरेन्द्र कुमार तिवारी उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री रामशंकर तिवारी

7- वंशगोपाल उम्र 70 वर्ष पुत्र श्री हनुमानदास

समस्त निवासीगण कस्बा व थाना मौदहा, जिला हमीरपुर।

8- बादशाह सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर सिंह निवासी कस्बा व थाना खरेला, जिला महोबा (पूर्व हमीरपुर) उ०प्र०। **..............अपीलार्थीगण।**

बनाम

राज्य उ०प्र०। **..............उत्तरदाता।**

अन्तर्गत धारा-374 द.प्र.सं.

थाना मौदहा, **जिला** हमीरपुर

तथा

UPHM010035922022

दाण्डिक अपील सं 0- 31/2022

अरुण अग्रवाल पुत्र रामकृष्ण अग्रवाल निवासी मु० उपरौस कस्बा व थाना मौदहा , जिला हमीरपुर, उ०प्र०। ....**अपीलार्थी।**

बनाम

राज्य उ०प्र०। ....**उत्तरदाता।**

अन्तर्गत धारा-374(3) द.प्र.सं.

थाना मौदहा, **जिला** हमीरपुर

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक अपील सं०-28/2022 अपीलार्थीगण छोटेलाल प्रजापति व लक्ष्मीनारायन की ओर से तथा दाण्डिक अपील सं० -30/2022 अपीलार्थीगण रामदेव सिंह, ओमप्रकाश सिंह, जयकरन सिंह, शिववीरेन्द्र भटनागर, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार तिवारी, वंशगोपाल व बादशाह सिंह की ओर से तथा दाण्डिक अपील सं० -31/2022 अपीलार्थी अरुण अग्रवाल की ओर से अवर न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/एफ० टी० सी०/ विशेष न्यायाधीश एम० पी०/एम० एल० ए०, हमीरपुर द्वारा दाण्डिक वाद सं०-02/2022 राज्य प्रति आदर्श सक्सेना आदि, धारा 147, 332, 353, 336, 427, 504 भा० द० सं०, अ०सं०-319/1994, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर में पारित निर्णय दिनांकित 19.09.2022 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी हैं जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थीगण /अभियुक्तगण ओमप्रकाश, रामदेव सिंह, विवेक त्रिवेदी, सुरेन्द्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, अरुण कुमार, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल, शिव बीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह, बादशाह सिंह को धारा 147 भा०द०सं० में 01 वर्ष का साधारण कारावास व मु०-1000/-रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 332 भा०द०सं० में 01 वर्ष का साधारण कारावास व मु०-1000/-रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 336 भा०द०सं० में 02 वर्ष का साधारण कारावास व मु०-1500/-रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 353 भा०द०सं० में 01 वर्ष का साधारण कारावास व मु०-1000/-रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 427 भा०द०सं० में 06 माह का साधारण कारावास व मु०-500/-रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 504 भा०द०सं० में 06 माह का साधारण कारावास व मु०-500/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। चूँकि उक्त तीनों दाण्डिक अपीलें एक ही घटना एवं निर्णय से संबंधित हैं इसलिये सुविधा की दृष्टि से उक्त तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील से संबंधित मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनाँक 14.10.1994 को विजयदशमी के उपलक्ष्य में कस्बा मौदहा के मुहल्ला कुम्हरौड़ा से एक जुलूस निकाला जाना था। गत वर्ष 1993 में इस जुलूस को मुस्लिम कब्रिस्तान से ले जाने पर विवाद उत्पन्न हुआ था। कब्रिस्तान से सम्बन्धित व्यक्तियों का कहना था कि भविष्य में इस जुलूस को कब्रिस्तान से न ले जाया जाये। इस पर कुम्हार वर्ग तथा कब्रिस्तान से सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच 1993 में यह तय हुआ कि इस विवादित स्थान की नाप करा ली जाये। अतः इस वर्ष 1994 में पर्व को मनाये जाने से पूर्व विवादित मार्ग की पैमाइश कराये जाने पर इसे कब्रिस्तान होना पाया गया। इस पर दोनों पक्षों में 5-5 स्वयं चुने हुए व्यक्तियों में बातचीत करके यह तय किया कि इस वर्ष तथा भविष्य में भी दशहरा व जूलूस कब्रिस्तान वाले मार्ग से नहीं निकाला जायेगा किन्तु यह

रास्ता आने जाने वाले लोगों के लिये तब तक चलता रहेगा जब तक की किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं हो जाती। दोनों पक्षों में हुए इस आपसी समझौते का कस्बा मौदहा के डॉ० आदर्श कुमार सक्सेना, अरुण अग्रवाल, जगतनरायन गुप्ता, शिव बीरेन्द्र भटनागर, बादशाह सिंह भूतपूर्व विधायक निवासी खरेला, थाना खरेला द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। श्री बादशाह सिंह भू०पू० विधायक, डॉ० आदर्श सक्सेना, अरूण अग्रवाल आदि ने कुम्हरौड़ा जाकर साजिश करके अपने निहित स्वार्थ तथा साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिये छोटेलाल प्रजापति सदस्य न० पा० (भू०पू०)व वंशगोपाल सैनी निवासी कुम्हरौड़ा को उकसाया कि वे अपने किये हुए समझौते को न माने, जुलूस कब्रिस्तान से निकाले और इस में उन्हें अपनी पूरी मदद व समर्थन देने का आश्वासन दिया , जिस पर वंशगोपाल सैनी अध्यक्ष रामलीला कमेटी , कुम्हरौड़ा ने न्यायालय मुंसिफ हमीरपुर से कब्रिस्तान के विवादित मार्ग से दशहरा का जुलूस निकाले जाने से प्रशासन तथा अन्य के द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न न किये जाने से सम्बन्धित स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। स्थानीय पुलिस ने न्यायालय आदेशों के अनुपालन में इसके अनुरुप जुलूस निकाले जाने के लिये समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की , किन्तु 14.10.94 को लगभग 5 बजे कब्रिस्तान से सम्बन्धित मुस्लिम वर्ग के व्यक्तियों ने अपर जिला जज हमीरपुर की न्यायालय को उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर अमल न किये जाने से सम्बन्धित स्थगन आदेश से उच्चाधिकारियों व मुझ निरीक्षक को अवगत कराया। इस आदेश के सम्बन्ध में बंशगोपाल सैनी, डॉ० आदर्श कुमार सक्सेना, अरुण अग्रवाल, छोटेलाल प्रजापति आदि को अवगत कराते हुए उन्हें विवादित कब्रिस्तान से जुलूस न ले जाने की हिदायत दी गयी और उन्हीं के अनुरुप समुचित व्यवस्था की गई। डॉ० आदर्श सक्सेना , अरुण अग्रवाल, छोटेलाल प्रजापति, बंशगोपाल सैनी, जगतनरायन गुप्ता आदि इस बात पर आमदा हो गये कि दशहरा का जुलूस वे कब्रिस्तान से ही निकालेंगे। अपनी अनुचित बात मनवाने के लिये बाजार में जनता में भ्रामक प्रचार करके लगभग 500-600 व्यक्तियों की भीड़ लेकर डॉ० आदर्श सक्सेना , अरुण अग्रवाल, छोटेलाल प्रजापति निवासी कुम्हरौड़ा व वंशगोपाल सैनी निवासी कुम्हरौड़ा , जगतनरायन गुप्ता, शिव बीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह आदि निवासी कस्बा मौदहा थाने पर आये और थाने को सामने से घेरकर जन समूह को उत्तेजित करके नारे बाजी करने लगे व अभद्र व्यवहार करने लगे। मैंने परगनाधिकारी श्री डी० एन० त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी राठ श्री पूरन सिंह, उ०नि० श्री भरत सिंह व कर्मचारियों कां० 262 रमेशचन्द्र, कां० प्रेमचन्द्र सचान व अन्य कर्मचारियों ने डॉ० आदर्श कुमार सक्सेना व उनके साथियों व जनसमूह को समझाने -बुझाने शान्त करने के सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न किये, लेकिन डॉ० सक्सेना आदि बिल्कुल नहीं माने बल्कि और अधिक उग्रता व उदण्डता से नारे बाजी व अभद्र व्यवहार करने लगे। इसी बीच भीड़ ने हमारे ऊपर पथराव करना शुरु कर दिया जिससे परगनाधिकारी मौदहा डी०एन० त्रिपाठी , श्री पूरन सिंह क्षेत्राधिकारी राठ, उ०नि० श्री भरत सिंह, का० प्रेमचन्द्र सचान का 262 रमेशचन्द्र, का0 72 रामचन्द्र, का0 303 रमाकान्त मिश्रा व उ०नि० श्री आर०के० गौतम व 231 चन्द्रपाल के चोंटे आईं और सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। भीड़ को अनियन्त्रित होता देख हल्का बल प्रयोग आवश्यक करने से लोग तितर बितर हो गए। थाने के सामने आई भीड़ में डॉ० आदर्श सक्सेना , अरुण अग्रवाल, बंशगोपाल, छोटेलाल प्रजापति, जगतनरायन गुप्ता, शिव बीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह, ओमप्रकाश सिंह उर्फ कल्लू सिंह , रामदेव सिंह, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार तिवारी, लक्ष्मीनारायन के उकसाने पर पथराव किया जिसमें से डॉ० आदर्श सक्सेना , ओम प्रकाश सिंह, रामदेव सिंह, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार व लक्ष्मीनरायन को अन्तर्गत धारा 147,332,353,336,427,504 भा०दं०सं० व धारा-7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट बन्दी करीब 09:4 5 बजे रात कर्मचारियों के साथ बनाया गया। वजह गिरफ्तारी प्रत्येक मुल्जिम को बतायी

गयी। नामित अभियुक्त उपरोक्त भागने में सफल हो गये। उक्त व अन्य अनेक भागे मुल्जिमों को बिजली की सजावट की रोशनी में पहचाना है।

उक्त फर्द गिरफ्तारी के आधार पर दिनांक 14.10.1994 को समय 22:15 बजे थाना मौदहा, जिला हमीरपुर में उपरोक्त घटना के बावत अ०सं० -319/94, धारा 147, 332, 353, 336, 427, 504 भा०द०सं० एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट के तहत अभियुक्त डॉ० आदर्श सक्सेना, ओमप्रकाश गुप्ता, रामदेव सिंह, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार, लक्ष्मी नरायन, अरूण कुमार, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल, जगत नरायन, शिव वीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह एवं बादशाह सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक ने दौरान विवेचना औपचारिक एवं तथ्य के साक्षियों के बयान अंकित किये तथा घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचना उपरान्त अभियुक्त डॉ० आदर्श सक्सेना, ओमप्रकाश सिंह, रामदेव सिंह, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार, लक्ष्मी नरायन, अरूण कुमार, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल, जगतनरायन, शिव विरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह एवं बादशाह सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा 147, 332, 353, 336, 427, 504 भा०द०सं० एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट व धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में आरोप न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 14.06.99 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण डॉ० आदर्श सक्सेना, ओमप्रकाश, रामदेव, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार, लक्ष्मीनारायण, अरूण कुमार, छोटेलाल, वंशगोपाल, जगतनारायण, शिव वीरेन्द्र, जयकरन एवं बादशाह सिंह के विरुद्ध धारा -147, 332, 353, 336, 427, 504 भा०द०सं० का आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया।

अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०-1 प्रेमचन्द्र, पी० डब्लू०-2 श्यामलाल गुप्ता, पी०डब्लू०-3 अमित चतुर्वेदी, पी०डब्लू०-4 कां० रमेशचन्द्र, पी०डब्लू०-5 कां० रामचन्द्र सिंह, पी०डब्लू०-6 शिरिल प्रसाद (निरीक्षक), पी०डब्लू०-7 चन्द्रपाल सिंह, पी०डब्लू०-8 पूरन सिंह, पी०डब्लू०-9 आर० के० गौतम, पी०डब्लू०-10 प्रभारी निरीक्षक परमहंस, पी०डब्लू०-11 पल्टूराम एवं पी०डब्लू०-12 एस० आई०प्रेमनरायण पाण्डेय को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 प्रेमचन्द्र सचान ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दि0 14.10.1994 की है। उस समय वह कान्सटेबिल के पद पर थाना मौदहा में तैनात था। घटना के समय उसकी डियूटी सी० ओ० राठ के साथ थाना मौदहा में थी। समय लगभग नौ दस बजे रात का था। दशहरा का समय था। जुलूस निकल रहा था। जुलूस में बहुत से लोग थे, भीड़ बहुत थी, कौन-कौन लोग थे वह उन्हें न ही जानता है न पहचानता है। जुलूस के सम्बन्ध में न्यायालय का आदेश था कि जुलूस जिस रास्ते से भ्रमण था , उस रास्ते से नहीं जायेगा। पुनः कहा कि कब्रिस्तान से होकर नहीं जायेगा। इस पर जुलूस के लोगों ने थाने पर गाली-गलौज किया, पत्थर फेंके, जिससे चोटे आयीं थीं। चोंटे किसे -किसे आयी वह नहीं बता सकता। पुलिस वालों को भी चोटे आयी थी तथा ईट पत्थर चलने से पुलिस की गाड़ियों को नुकसान नहीं हुआ था। जुलूस में कौन लोग थे, किसने पथराव किया था उसको किसी के बारे में जानकारी नहीं है।साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0-2 श्यामलाल गुप्ता ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.10.1994 समय 22.15 बजे वह थाना मौदहा में बहैसियत मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन एस०एच०ओ० मौदहा शिरिल प्रसाद के द्वारा एक किता तहरीर उनके स्वयं लिखित व हस्ताक्षरित समय 22.15 बजे रात को दी गयी थी। जिसके आधार पर उसने मु0 अ 0 सं0-319/1994, धारा-141, 332, 336, 353, 427, 504 भा०दं०सं० व 7 क्रि० लॉ एक्ट

के तहत चिक सं0-229 पर घटना दिनांक 14.10.1994 समय 09.45. पी०एम० पर 13 नफर अभियुक्तगणों के विरुद्ध लिखकर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। यह चिक कागज सं 0-4 क 1 लगायत 4 क 2 है, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसको वह प्रमाणित करता है। उसने इसका इन्द्राज जी०डी० सं०-29 समय 22.15 दिनांक 14.10.1994 में घटना का संक्षिप्त विवरण अंकित कर किता किया था। इस पर उसके हस्ताक्षर बने है , जिसे वह प्रमाणित करता हैं। इसमें उसने वादी का नाम तथा अन्य अभियुक्तगणों का नाम अंकित किया है। अ०सं०-319/94 चिक से संबंधित धाराओं का उल्लेख किया है। विवेचक ने उसका बयान लिया है। साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0-3 डॉ० अजीत चतुर्वेदी ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.10.1994 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौदहा में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था।

उसी दिनांक को रात्रि 11:10 पी०एम० पर श्री वी0एन0 त्रिपाठी उपजिलाधिकारी मौदहा की चोटों का डाक्टरी परीक्षण किया तथा उनके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी-चोट नं0-1 निलगो खरोच का निशान 5X2 से०मी० बायी भुजा पर कलाई से 8 से० मीटर ऊपर थी। चोट नं0-2 सीने में बांयी तरफ दर्द बता रहे थे लेकिन कोई चोट का निशान नहीं था। उसकी राय में चोट न 0-1 साधारण व ताजी व किसी कुन्दालय हथियार से आना सम्भव हैं। इन्जरी रिपोर्ट मजरुब का पहिचान चिन्ह व अंगूठा निशान अंकित है। जिस पर प्रदर्श क- 2 डाला गया।

उसी दिनांक को 11:55 पी0 एम 0 पर सी०पी० रमेश चन्द्र थाना कोतवाली की चोटों का डाक्टरी परीक्षण किया तथा उनके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी - चोट नं0-1 खरोज का निशान 1X1 से०मी० दाहिने घुटने पर। चोट नं 0 -2 खरौच का निशान 2X1 से०मी० दाहिनी एड़ी पर। चोट नं0-3 निलगों निशान 3X2 से०मी० बायी जाँघ पर घुटने के 8 सेमी0 लाल रंग। सभी चोटें उसकी राय में साधारण व ताजी व किसी कुन्दालय हथियार से आना सम्भव था। इन्जरी रिपोर्ट पर मज़रुब का पहिचान चिन्ह व अंगूठा निशान उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस पर प्रदर्श क-3 डाला गया है।

उसी दिनांक को 11:50 पी0 एम 0 पर सी०पी० चन्द्रपाल निवासी थाना ललपुरा की चोटों का परीक्षण किया। उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी - चोट नं0-1 निलगो खरोंच निशान 8X3 से०मी० बायी जाँघ पर घुटने से 10 से०मी० ऊपर । चोट नं0-2 निलगो निशान 4X2 से०मी० बायें पैर के घुटने के 3 सेमी0 नीचे लाल रंग का । उसकी राय में दोनों चोटें साधारण व ताजी तथा किसी कुन्दालय हथियार से आना सम्भव था। इन्जरी रिपोर्ट पर मज़रुब का पहिचान चिन्ह व अंगूठा निशान उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस पर प्रदर्श क-4 डाला गया है।

उसी दिनांक को 11:40 पी0 एम 0 पर भरत सिंह पुत्र श्री दीवान उपनिरीक्षक थाना मौदहा की चोटों का परीक्षण किया तथा उनके शरीर में निम्न चोटे पायी गयी। चोट नं0-1 निलगों निशान 4X2 से०मी० दायी भुजा पर कुहनी से 6 से०मी० नीचे लाल रंग का। चोट नं0-2 निलगों खरोच निशान 3X2 से०मी० दायी भुजा पर कलाई से 2 सेमी0 ऊपर। उसकी राय में दोनों चोटें साधारण व तजी तथा किसी कुन्दालय हथियार से आना सम्भव था। इन्जरी रिपोर्ट पर मज़रुब का पहिचान चिन्ह व अंगूठा निशान अंकित है। जो उसके द्वारा प्रमाणित किया गया हैं इस पर प्रदर्श क-5 डाला गया।

उसी दिन 11:30 पी0 एम 0 पर आर 0 के0 गौतम थानाध्यक्ष ललपुरा की चोटों का डाक्टरी परीक्षण किया। उनके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी। चोट नं 0-1 निलगों खरोंच निशान 3X2 से०मी० बायी भुजा पर कुहनी से ठीक नीचे। चोट नं 0-2 निलगों निशान 4X3 से०मीटर सीने में दाहिनी तरफ नीपक से 5 से०मी० नीचे लाल रंग का। दोनों चोटें साधारण व ताजी व किसी कुन्दालय हथियार से आना सम्भव था। इन्जरी रिपोर्ट पर मज़रुब का पहिचान चिन्ह व अंगूठा निशान अंकित है, जो उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस पर प्रदर्श क -6 डाला गया है।

उसी दिन 6.45 पी0 एम 0 पर प्रेमचन्द्र पुत्र देवीसहाय सचान थाना मौदहा जिला हमीरपुर की चोटों का डाक्टरी परीक्षण किया। उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं था। केवल दाहिने जांघ में दर्द बता रहा था। इन्जरी रिपोर्ट पर मज़रुब का पहिचान चिन्ह व अंगूठा निशान अंकित है, जो उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस पर प्रदर्श क -7 डाला गया।

उसी दिन 07:15 पी0 एम 0 पर श्री पूरन सिंह, क्षेत्राधिकारी राठ की चोटों का परीक्षण किया तथा उनके शरीर पर चोट नं0-1 खरोंच निशान 1X1 से०मी० दाहिने दायी भुजा पर कलाई से 8 सेमी0 ऊपर स्थित था। खरौच निशान से पपड़ी निकल चुकी थी। उसकी राय में चोट साधारण थी तथा खरोज से आना सम्भव थी। यह चोट लगभग एक सप्ताह पुरानी थी। इन्जरी रिपोर्ट पर मजरुब का पहिचान चिन्ह व अंगूठा निशान अंकित है , जो उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस पर प्रदर्श क-8 डाला गया।

उसी दिन 06:55 पी0 एम 0 पर श्री रामचन्द्र पुत्र श्री विद्याचल उम्र 39 साल निवासी थाना मौदहा की चोटों का डाक्टरी परीक्षण किया। मजरुब के शरीर पर कोई जाहिरा चोट का निशान मौजूद नहीं था केवल दाहिने भुजा व बायी भुजा पर दर्द बता रहा था। इन्जरी रिपोर्ट मजरुब का पहिचान चिन्ह व अंगूठा निशान अंकित किया गया, जो उसके द्वारा प्रमाणित है। इस पर प्रदर्श क 9 डाला गया।

उसी दिन 7:05 पी0 एम 0 पर रमाकान्त मिश्रा निवासी थाना मौदहा की चोटों का डाक्टरी परीक्षण किया। मजरुब के शरीर पर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं पाया था। मजरुब केवल बायी भुजा पर दर्द बता रहा था। इन्जरी रिपोर्ट पर मज़रुब का पहिचान चिन्ह व अंगूठा निशान अंकित है। इसको उसके द्वारा प्रमाणित किया गया। इस पर प्रदर्श क - 10 डाला गया। यह सभी मज़रुबों की चोटें प्रदर्श क -2 से प्रदर्श क-6 तक समय दिनांक 14.10.1994 को समय 09:45 पर पथराव करने से आ सकता है तथा प्रदर्श क -7 से प्रदर्श क - 10 तक की चोटे दिनांक 14.10.1994 समय 09:45 पी0 एम 0 पथराव करने से आना सम्भव है। साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0-4 कां० रमेश चन्द्र ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 14.10.1994 की है। वह उस समय कांस्टेबल के पद पर थाना मौदहा में तैनात था। करीब 09.45 का समय था, जब यह घटना हुई थी। वह उस समय थाने में प्रांगण में मौजूद था । उस समय सी०ओ० साहब, एस०डी०एम० साहब, इन्स्पेक्टर व अन्य तमाम अधिकारी मौजूद थे। उसी समय डॉ० आदर्श सक्सेना, वंशगोपाल, छोटेलाल प्रजापति, जगतनारायन, श्री शिव वीरेन्द्र भटनागर, रामदेव सिंह, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार, लक्ष्मी नारायण, बादशाह सिंह आदि के साथ करीब 500-600 लोग आकर थाने को घेर लिये। यह लोग कह रहे थे कि विजयदशमी का जुलूस काब्रिस्तान वाले रास्ते से ही जायेगा। थाने पर मौजूद अधिकारीगण जुलूस का नेतृत्व कर रहे । लोगों को समझाया बुझाया कि प्रशासन का जो आदेश है उसी हिसाब

के साथ जुलूस निकालिये। जुलूस के लोगों थाना प्रांगण में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों पर पत्थर ईंट चलाने लगे, जिससे 4-5 लोगों, जिनमें अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे, चोटें आयी थीं। उसे घुटने में, पैर में एंकल ज्वाइंट एवं जांघ में चोट आयी थी। पुलिस बल ने मौके पर कई लोगों को पकड़ा था , जिनमें डॉ आर्दश सक्सेना , विवेक द्विवेदी, ओमप्रकाश, सुरेन्द्र, लक्ष्मी नारायण, रामदेव सिंह पकड़े गये थे। शेष लोग भाग गये थे। मुल्जिमानों के उक्त कार्य से शासकीय कार्य बाधा पहुँची थी व सरकारी कर्मचारियों को चोंटे आयी थी। उसकी चोटों की डॉक्टरी सरकारी अस्पताल मौदहा में हुई थी।साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0 -5 रामचन्द्र सिंह ने सशपथ बयान कर मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.10.1994 को थाना मौदहा में बहैसियत कांस्टेबल के पद पर तैनात था। वह थाने पर डियूटी पर था। समय करीब 09.30 बजे रात का समय था। बिजली जल रही है। थाने पर सी०ओ०, एस०डी०एम० व इंस्पेक्टर साहब बैठे थे। उसी समय डॉ० आदर्श सक्सेना, अरुण अग्रवाल, जगतनारायण गुप्ता, शिव वीरेन्द्र भटनागर, विवेक द्विवेदी, रामदेव सिंह आदि के साथ करीब 5-6 सौ लोग मौजूद थे। इन लोगों ने थाने को घेर लिया और यह लोग कहने लगे कि विजयदशमी का जुलूस कब्रिस्तान के रास्ते से ही जायेगा। बादशाह सिंह ने एस० डी० एम० साहब का कालर पकड़ लिया। इन सब लोगों ने समझाया बुझाया कि अदालत का आदेश है , जुलूस कब्रिस्तान के रास्ते नहीं जायेगा। इतने में भीड़ उग्र हो गयी। पत्थर चलने लगे । कई लोगों को चोंटे आयी और जीपें क्षतिग्रस्त हो गयी। उस पत्थरबाजी से उसे , रमेशचन्द्र प्रेमचन्द्र, रमाकान्त मिश्रा, चन्द्रपाल, दरोगा जी भरत सिंह, आर 0 के0 गौतम, एस० डी० एम० मौदहा और सी०ओ० साहब को चोटें आयी थी। उसने अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था। दरोगा जी ने उसके बयान लिये थे। साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0-6 शिरिल प्रसाद ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया हैं कि दिनांक 14.10.1994 को वह थाना मौदहा में निरीक्षक प्रभारी नियुक्त था। उस दिन विजयदशमी का जुलूस निकाला जाना था, जो कुम्हरौड़ा मुहल्ले से निकलना था। जुलूस के मार्ग में मुस्लिम सम्प्रदाय के व्यक्तियों का कब्रिस्तान पड़ता था। वर्ष 1993 में उसकी नियुक्ति से पूर्व दशहरे का जुलूस उस मार्ग से निकलने से विवाद हुआ था, जिसको देखते हुए दशहरा पर्व से पूर्व उस स्थान व मार्ग की पैमाइश करायी गयी थी, जिसमें पाया गया कि जुलूस का जो मार्ग बताया जा रहा है वह कब्रिस्तान है। इस विषय पर दोनों समुदायों ने स्वयं चुने हुए पाँच-पाँच व्यक्तियों ने बातचीत करके तय किया कि दशहरे का जुलूस उस मार्ग से न तो उस वर्ष निकाला जाये और न भविष्य में निकाला जाये। इस सम्बन्ध में डॉ० आदर्श सक्सेना व बादशाह सिंह, अरुण अग्रवाल, जगत नारायन, शिव वीरेन्द्र भटनागर आदि ने कुम्हरौड़ा में लोगों को उकसाया कि इस फैसले को न माना जाये और जुलूस वहीं से निकाला जाये और इन्हीं लोगों ने छोटेलाल प्रजापति व वंशगोपाल सैनी ने लोगों को उकसाया कि जो समझौता हुआ है उसको न माने। इस पर वंशगोपाल सैनी आदि मुंसिफ हमीरपुर की अदालत से एक स्थगन आदेश लाये , जिसके मुताबिक जुलूस उसी मार्ग से निकाले जाने पर पुलिस प्रशासन व अन्य कोई व्यक्ति बाधा न डाले। इसी क्रम में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति अपर जिला जज हमीरपुर के न्यायालय से आदेश लाये कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर अमल न किया जाये। यह आदेश उसने भी देखा था। इस सम्बन्ध में डॉ० आदर्श सक्सेना , वंशगोपाल सैनी आदि को अवगत कराया और जुलूस विवादित गार्ग से न निकालने की हिदायत दी थी। उस समय डॉ० सक्सेना आदि ने इसका विरोध किया तथा आमादा हुए कि जुलूस उसी विवादित मार्ग से निकाला जायेगा। इसी सम्बन्ध में कस्बे

में भ्रामक प्रचार करके लगभग 500-600 व्यक्तियों की भीड़ लेकर डॉ० आदर्श सक्सेना , अरुण अग्रवाल, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल सैनी, जगत नारायण गुप्ता, शिव वीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह आदि उक्त भीड़ के साथ थाने पर आये और थाने के सामने भीड़ के साथ जमा होकर उत्तेजित होकर नारेबाजी और अभद्र करने लगे। उन लोगों को उसने व व्यवहार करने तत्कालीन एस०डी०एम० बी० एन० त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राठ पूरन सिंह, एस० आई० भरत सिंह आदि ने समझाने बुझाने और शांत करने का काफी प्रयास किया किन्तु वे लोग और अधिक उत्तेजित होकर नारेबाजी व अभद्र व्यवहार करने लगे और इसी बीच भीड़ ने पथराव करना शुरु कर दिया, जिससे एस०डी०एम०, सी०ओ०, एस०आई० व सिपाहियों को चोटे आयी और सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गये। इस स्थिति में आवश्यक हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया गया। मौके पर डॉ० आदर्श सक्सेना , ओम प्रकाश सिंह, रामदेव सिंह, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार और लक्ष्मी नारायन की बवजह गिरफ्तारी बनाकर गिरफ्तार किया गया और थाने में इनके विरुद्ध अ०सं० -319 / 1994 अन्तर्गत धारा 147, 332, 353, 336, 427 ,504 भा०दं०सं० व 7 सी० आर० सी० एल० ए० एक्ट पंजीकृत कराया। यह अभियोग उसने बफर्द गिरफ्तारी स्वयं लिखी थी, जो उसके हस्तलेख में शामिल मिसिल है, जिस पर उसके दस्तख्त है जो पेपर सं0-5 क है, जिस पर प्रदर्श क - 11 डाला गया। गिरफ्तारी करीब पौने दस बजे रात की गयी थी। साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0-7 चन्द्रपाल सिंह ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.10.1994 को थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर में कांस्टेबिल के पद पर तैनात था। दिनांक 14.10.1994 को वह एस०ओ० श्री आर. के. गौतम के हमराह दशहरा जुलूस डियूटी में थाना मौदहा आया था। श्री आर . के. गौतम थाना ललपुरा में थानाध्यक्ष थे। उसी दिनांक 14.10.1994 को समय करीब 21.45 बजे रात्रि वह डॉ० आदेश कुमार सक्सेना निवासी मौदहा के और छोटे लाल प्रजापति , वंशगोपाल, शिव वीरेन्द्र, जगत नारायन, विवेक द्विवेदी, प्रेम कुमार, रामदेव, ओमप्रकाश आदि 500-600 लोगों ने थाना मौदहा को घेर लिया था तथा उत्तेजित होकर नारेबाजी करने लगे और कह रहे थे कि जुलूस कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही निकालेंगे। इनके साथ पूर्व विधायक श्री बादशाह सिंह भी मौजूद थे। उस समय घेराव के समय थाने पर श्री एस.डी. एम. मौदहा, क्षेत्राधिकारी मौदहा, एस.एच.ओ. मौदहा, एस. ओ. ललपुरा और कुछ कांस्टेबिल भी वहाँ मौजूद थे। इस भीड़ को पहले एस . डी. एम. साहब और क्षेत्राधिकारी ने काफी समझाया बुझाया जिससे और उत्तेजित होकर भीड़ उपस्थित लोगों ने थाने पर उपस्थित लोग ईंट फेंकने लगे। इसी दौरान श्रीमान एस. डी. एम. महोदय के कुछ लोग कालर पकड़ कर अभद्रता करने लगे। पथराव के दौरान अधिकारी लोगों के व उसे भी चोटें आयीं थीं। उसकी चोटों का डाक्टरी मुआयना सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौदहा में हुआ था। हल्का बल प्रयोग करके डाक्टर आदर्श कुमार सक्सेना , जगतनरायन द्विवेदी, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार आदि लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और शेष अभियुक्त वंशगोपाल , छोटेलाल प्रजापति और पूर्व विधायक बादशाह सिंह आदि लोग भाग गये थे। इस पथराव में अभियुक्तों द्वारा कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिये गये थे। मुस्लिम समुदायों के लोगों ने न्यायालय से इस रास्ते से निकलने के लिये स्थगन आदेश लिया था। यह कह रहे थे। विवेचक ने उसका बयान लिया था।साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0-8 पूरन सिंह ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 1994 में वह क्षेत्राधिकारी राठ के पद पर नियुक्त था तो दिनांक 14.10.1994 को पुलिस

अधीक्षक हमीरपुर के आदेशानुसार उसे शांतिव्यवस्था डियूटी हेतु थाना मौदहा भेजा गया था , जहाँ पर विजयदशमी के जुलूस को लेकर साम्प्रदायिक तनाव व शान्ति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। रात्रि लगभग पौने दस बजे कस्बे के सम्भ्रान्त व्यक्तियों को जुलूस को लेकर चल रहे तनाव को सुलझाने हेतु थाना मौदहा बुलाया गया था। जिसमें मुख्य रूप से डॉ० आदर्श सक्सेना, शिव वीरेन्द्र भटनागर, विवेक द्विवेदी, छोटेलाल, वंशगोपाल, जगत नरायन, बादशाह सिंह आदि लगभग तेरह लोग आये और शान्तिपूर्ण वातावरण में वार्ता करने हेतु समझाया बुझाया गया, किन्तु उक्त सभी लोग उत्तेजित हो गये एवं कहने लगे की जुलूस पहले वाले रास्ते से ही निकलेगा। काफी समझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने एवं तत्कालीन परगनाधिकारी श्री डी०एन० त्रिपाठी व अन्य लोगों से अभद्रता करने लगे। इसी बीच लगभग पाँच -छः सौ लोग कस्बे की ओर से आकर थाने को चारों ओर से घेर लिया और नारेबाजी करने लगे कि जुलूस प्रत्येक दशा में पहले वाले रास्ते से ही जायेगा। जब काफी भीड़ अभद्रता करने लगी तब पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया एवं पुलिस द्वारा छः लोगों को मौके पर ही गिरफ्पतार कर लिया गया जिनके नाम आदर्श सक्सेना , विवेक द्विवेदी आदि छः लोग गिरफ्तार किये गये थे। इस पर भीड़ उत्तेजित होकर पुलिस एवं थाने पर पथराव किया। जिसमें उसके दाहिने हाथ में भी एक पत्थर लगा था व अन्य पुलिस कर्मियों को भी चोटें आयी थीं। जिनकी विधिवत परीक्षण पी. एच. सी. मौदहा में किया गया था और उसका चिकित्सीय परीक्षण भी पी. एच. सी. मौदहा में ही दिनांक 18.10.1994 को हुआ था। उल्लेखनीय है कि असामाजिक तत्व द्वारा किये गये पथराव से पुलिस के सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे। उक्त तेरह लोगों द्वारा भी जिनमें मुख्य रूप से आदर्श सक्सेना, शिववीरेन्द्र, छोटेलाल, जयनरायन, बादशाह सिंह, रामदेव आदि लोगों ने भी सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों से अभद्रता की थी एवं पथराव किया था। विवेचक ने उसके बयान अंकित किये थे। उल्लेखनीय है कि जिस भूमि से अभियुक्त पक्ष के लोग जुलूस निकालना चाहते थे वह जमीन नापतोल के बाद कब्रिस्तान की भूमि पायी गयी थी एवं माननीय न्यायालय द्वारा भी उक्त भूमि से जुलूस न निकालने के आदेश पारित किये गये थे। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ही उक्त लोगों से जुलूस उस रास्ते से न निकालने का अनुरोध किया गया था। साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0-9 आर० के० गौतम ने सशपथ मुख्य परीक्षा कथन किया है कि दिनांक 14.10.1994 को वह एस 0 ओ 0 ललपुरा के पद पर कार्यरत था। उक्त तिथि को मौदहा में विजयदशमी के जुलूस निकालने के उपलक्ष्य में कब्रिस्तान की जगह को लेकर विवाद था। उसे उसी में शान्तिव्यवस्था डियूटी में भेजा गया था। दि० 14.10.1994 को समय 09.45 पी0 एम 0 पर जब वह मौदहा थाने के प्रांगण में मौजूद था , वहॉ पर एस० डी० एम डी.एन. त्रिपाठी व सी०ओ० राठ पूरन सिंह, एस० एच० ओ० शिरिल प्रसाद, वह स्वयं, एस 0 आई 0 भरत सिंह व कर्मचारीगण व सिपाहीगण मौजूद थे। डॉ० आदर्श कुमार सक्सेना, ओम प्रकाश, विजय द्विवेदी, रामदेव सिंह, सुरेन्द्र सिंह, लक्ष्मी नरायन, अरूण कुमार, छोटेलाल, जयकरन सिंह, वंशगोपाल, जगत नारायन, बादशाह सिंह आदि व पाँच-छः सौ लोगों ने आकर थाने को घेर लिया था। मौजूद अधिकारीगणों द्वारा उन लोगों को समझाया बुझाया गया था और स्थगन आदेश के सम्बन्ध में भी बताया गया था, लेकिन उन लोगों द्वारा जुलूस को कब्रिस्तान के रास्ते से ही ले जाने पर तुले रहे। काफी हुल्लड़ होने लगा। नारेबाजी के साथ आदर्श कुमार आदि ने श्रीमान एस० डी० एम० महोदय का कालर पकड़ कर अभद्रता कर दी थी। इसी बीच पथराव होने लगा। श्रीमान एस. डी. एम. महोदय तथा उसे, एस० आई० भरत सिंह को, क्षेत्राधिकारी पूरन सिंह को, कां० चन्द्रपाल, कां० रमेशचन्द्र आदिकर्मगचारीगण को चोंटे आयी थीं। उपरोक्त लोगों द्वारा अभद्रता की गयी

थी। उपरोक्त लोगों से उसका आशय अभियुक्तों से है तथा उनके सहयोगियों द्वारा पथराव किया गया था। पुलिस द्वारा उपरोक्त लोगों पर बल प्रयोग करते हुए अभियुक्त आदर्श कुमार , ओमप्रकाश, विजय द्विवेदी, रामदेव सिंह, सुरेन्द्र सिंह व लक्ष्मीनरायन को पकड़ लिया गया था और शेष मौके से भाग गये। कुल 13 अभियुक्त थे। पथराव में प्रांगण में खड़े हुए सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। उसने अपनी चोटों का मेडिकल मौदहा चिकित्सालय में करवाया था। दिनांक 14.10.1994 को मेडिकल कराया था। अभियुक्तों में किसी पक्ष को समझाने के लिये थाने में नहीं बुलाया गया था। साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0 10 परमहंस मिश्र ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.10.1994 को थाना खन्ना में बतौर थानाध्यक्ष तैनात था। उपरोक्त मुकदमे की विवेचना मिली। उसने उसी दिन विवेचना ग्रहण किया। प्रथम पर्चे में नकल चिक करके कायमी रोजनामचा का इन्द्राज व मुकदमा लेखक एच०सी० श्यामलाल गुप्ता के बयान लिये एवं गिरफ्तारीशुदा अभियुक्त आदर्श सक्सेना , ओमप्रकाश सिंह, रामदेव सिंह, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार एवं लक्ष्मी नारायन के बयान लिये। दि० 15.10.1994 को वादी मुकदमा सिरिल प्रसाद के बयान अंकित करके उनकी निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर नक्शा नजरी बनाया, जो शामिल मिसिल है। जिस पर उसका लेख व हस्ताक्षर है। जो उसके सामने है। जिस पर प्रदर्श क- 11 डाला गया। पर्चा नम्बर पाँच में उसके द्वारा मजरूब रामचन्द्र, मजरूब प्रेमचन्द्र, मजरूब पूरन सिंह, मजरूब रमाकान्त मिश्रा की डॉक्टरी रिपोर्ट की नकल की गयी एवं वादी के मजीद बयान लिया गये। दिनांक 01.11. 1994 को अभियुक्त अरूण कुमार अग्रवाल, बादशाह सिंह, जयकरन सिंह, शिववीरेन्द्र भटनागर के पर्चा हाजिरी की नकल किया गया एवं सभी उपरोक्त मुल्जिम के बयान लिये गये। दिनांक 06. 11.1994 को पर्चा नम्बर सात किता किया गया। जिसमें गवाह डी 0 एन 0 त्रिपाठी, प्रेमचन्द्र सचान के बयान अंकित किये। दिनांक 15.11. 1994 को गवाह पूरन सिंह का बयान, भारत सिंह, आर.के. गौतम, चन्द्रपाल, रमेशचन्द्र, रामचन्द्र, रमाकान्त मिश्र का बयान पर्चा नम्बर आठ में अंकित किया गया एवं आरोप सही पाये जाने पर उसी दिन अभियुक्त आदर्श सक्सेना, ओमप्रकाश सिंह, रामदेव सिंह, विवेक द्विवदी, सुरेन्द्र कुमार, लक्ष्मी नारायन, अरूण कुमार, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल, जगत नारायन, शिववीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह, बादशाह सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-147, 332, 353, 504, 427, 336 भा० दं० स० व 7 कि० लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट तथा धारा 3 प्रिवेंसन ऑफ डेमेजेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं० -83 प्रेषित किया, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। शामिल मिसिल है, जिस पर प्रदर्श क 12 डाला गया। पर्चा नम्बर पाँच जो उसके द्वारा दिनांक 18.10.1994 को प्रेषित किया गया है , उसके साथ गाड़ियों के मैकेनिकल मुआयने की चार अदद रिपोर्टें संलग्न की गयी हैं। साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0-11 पल्टूराम ने सशपथ बयान कर मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.10.1994 को जनपद हमीरपुर में जूनियर फोर मैन के पद पर तैनात था। उस समय सीनियर फोर मैन के पद का चार्ज था। मौदहा में क्षतिग्रस्त गाड़ियों का मुआयना करने ए०आर०एम० के आदेश से आया था। दिनांक 16.10.1994 को गाडी नं0- यू०पी0-91 /6393 का मुआयना क्षतिग्रस्त उसके द्वारा किया गया। जिसका विवरण निम्न है - न०-1 सर्च लाइट के सीसे टूटे हुए थे। न०-2 सीट कबर बुरी तरह से टूटी हुई थी। न०-3 बैक लाइट व साइड लाइट टूटी हुई थी। न०-4 पिछले हिस्से का डाला पिचका हुआ था और हुड जगह-जगह फटा हुआ था। उक्त गाड़ी का सी० आई० 500 डी0 आई 4, के0 आर 0, डी0 आर 0 48096 है। उक्त वाहन का

टेक्निकल मुआयना उसके द्वारा तैयार किया गया है जो पेपर नं 0-52 ख है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जो उसके सामने है , जिस पर प्रदर्श क- 13 डाला गया। उक्त तिथि को दूसरा विहिकल (गाड़ी) का मुआयना उसके द्वारा किया गया था जिसका नम्बर यू०पी० -93/0001 का मुआयना किया, जिसका विवरण निम्न है - न०-1 टिवालिंग डेम्बर लाइट टूटी हुई थी। न०-2 डोर हैड पिछले दरवाजे का टूटा हुआ था। न०-3 साइड दाहिने साइड का गिलास टूटा था। न०-4 बाड़ी में जगह-जगह पिचके हुए निशान। न०-5 सीटें फटी हुई थीं। न०-6 टायरों की कन्डीशन भी खराब जगह जगह पर निशान थे तथा कट लगे हुए थे। उक्त वाहन का चेचिस नं 0 - एस 88300 था। उक्त वाहन की तकनिकी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताखर में है जो कागज सं० - 53 ख है। इस पर प्रदर्श क- 14 डाला गया। दिनांक 16.10.1994 को ही गाड़ी न०- यू०जी०आई 3831 का भी तकनीकी परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित है - न०-1 बॉडी जगह-जगह पर पिचकी हुई एवं टूटी हुई थी। न० -2 साइड लाइट, बैक लाइट, पॉर्किंग लाइट भी क्षतिग्रस्त थी। न०-3 फुट बहुत ज्यादा फटा हुआ था। न०-4 सीटे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं, जगह जगह से डलफ व जूट निकला हुआ था। न०-5 बाइपर दोनों टूटे हुए थे। न०-6 दोनों तरफ के दरवाजे के सीसे टूट गये थे तथा दरवाजे सही तरह से न बन्द होते थे , न खुलते थे। न०- 7 सुपर स्ट्रक्चर फ्रेम व सीटे टूटी हुई थी। उक्त वाहन का चेचिस नं०- डी०एल० 7442 था। उक्त वाहन का तकनीकी परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसका कागज सं0-54 ख है, जो उसके सामने है, जिस पर प्रदर्श क- 15 डाला गया। साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

पी0 डब्लू0-12 एस०आई० एम०टी० रिटायर्ड प्रेमनारायण पाण्डेय ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 16.10.1994 को एस 0 आई 0 एम 0 टी0 के पद पर पुलिस लाईन हमीरपुर में तैनात था। इस तिथि को वह एस 0 ओ 0 की रिपोर्ट व उस पर आर 0 आई 0 के आदेश पर तब वह थाना मौदहा में आकर गाड़ी नं 0- यू0 जी0 जे0-4235 महिन्द्रा डीजल जीप जिसका चेचिस नं0-सी. जे. 500 डी. - 4- डी. एम. - 30448 का तकनीकी परीक्षण उसके द्वारा किया गया था। इस वाहन की दशा इस प्रकार थी-1- चेचिस की दशा ठीक। 2- गाडी की दशा- पिचकी हुई थी, वह नहीं बता सकता कि दोनों तरफ थी कि एक तरफ थी।3- इन्जन की दशा-ठीक थी। 4- ट्रान्समीशन की दशा-ठीक। 5- स्टेरिंग की दशा- ठीक। 6- ब्रेक की दशा-ठीक। 7- लाइटों की दशा- पारकिंग व साइड लाइट टूटी हुई थी। बाई तरफ की हेड लाइट क्षतिग्रस्त थी। 8- सस्पेन्शन ठीक। अन्य विवरण- गिर डेमेज, एस०डी०एम० पद नाम प्लेट टूटी है। बाया बाइपर टूटा हुआ था। सीटे बुरी तरह से फटी हुई थी। हुड जगह जगह फटा हुआ था। रोड टेस्ट - गाड़ी को रोड में चलाकर देखा गया। निरीक्षण रिपोर्ट उसके द्वारा लिखा गया व उसके हस्ताक्षर में तैयार किया गया है जो उसके सामने हैं। इस पर प्रदर्श क - 16 डाला गया। साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

अभियोजन साक्ष्य समाप्ति उपरान्त अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दं.प्र.सं. दि०-28.09.2021 को अंकित किये गये , जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को झूठा बताया तथा साक्षियों द्वारा झूठी गवाही देना एवं झूठे कागजात तैयार करना कहा है। उनके द्वारा मुकदमा चलने का कारण राजनैतिक विरोध कहा गया है तथा कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा प्रदर्श क -1 पर हस्ताक्षर किये गये हैं तथा शेष प्रदर्श क -2 लगायत प्रदर्श क-16 पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। निर्णय पारित करने से पूर्व अवर न्यायालय को प्रदर्शों पर हस्ताक्षर करने चाहिए थे। अवर न्यायालय द्वारा अभियोजन व अभियुक्तगण के

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली का परिशीलन करने के उपरान्त अभियुक्तगण ओमप्रकाश, रामदेव सिंह, विवेक त्रिवेदी, सुरेन्द्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, अरूण कुमार, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल, शिव बीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह, बादशाह सिंह को उपरोक्त अपराध में दोषी पाते हुए उन्हें धारा 147, 332, 336, 353, 427, 504 भा०द०सं० में कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत दाण्डिक अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

दाण्डिक अपील सं०-28/2022, दाण्डिक अपील सं०-30/2022 एवं दाण्डिक अपील सं०-31/2022 पर अपीलार्थीगण के द्वारा यह आधार लिया गया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधार व अभियोज़न साक्ष्य के विधिक रीति से परिशीलन एवं विश्लेषण न करके परस्पर विरोधी कथनों पर विश्वास करके दण्डित करने में त्रुटि की है तथा आरोपित धाराओं के अपराधों का विधिक रीति से निर्वचन नहीं किया है। अभियोजन आरोपित धाराओं के अपराधों को अपीलार्थीगण द्वारा कारित करने के कथन को सिद्ध करने से पूर्णतः असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णयादेश पूर्णतः अटकलों एवं कल्पनाओं पर आधारित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। मुकदमा मुल्जिम गिरफ्तारी फर्द को वादी ने तहरीर बनाकर थाना हाजा में कायम किया है। जिसमें घटना का दिनांक 14.10.1994 समय 09.45 पी0 एम 0 व सूचना दिनांक 14.10.1994 को थाना मौदहा में 20. 15 पर जी०डी० सं० 29 के द्वारा कायम हुआ है। वादी ने प्र० सू०रि० प्रदर्श क -11 में गिरफ्तारी पौने दस बजे रात को की है। गिरफ्तार मुल्जिम डा० आदर्श सक्सेना, ओमप्रकाश सिंह, रामदेव सिंह, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र कुमार एंव लक्ष्मीनारायन को 9.45 पी०एम० पर ही गिरफ्तार किया है। इन सभी गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के वादी ने फर्द गिरफ्तारी मुल्जिमान प्रदर्श क -11 में हस्ताक्षर नहीं करवाये है फर्द गिरफ्तारी में मुल्जिमानों का हस्ताक्षर होना मंशा कानून अति आवश्यक है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरन्दाज किया है । वादी शिरिल प्रसाद ने नक्शा नजरी प्रदर्श क 11 में मुल्जिमों की गिरफ्तारी का स्थान विवेचक पी 0 डब्लू0 10 (परमहंस मिश्र) ने क्यों नहीं दिखाया, इसके बारे में साक्षी पी 0 डब्लू0 10 कोई वजह नहीं बता पाया तथा पी 0 डब्लू0 10 ने कहा कि नक्शा नजरी में गिरफ्तारी का स्थान दिखाना जरूरी नहीं समझा , न ही फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श क 11 में मुल्जिमानों के हस्ताक्षर बनवाये है। चिकित्सक पी0 डब्लू0 3 (अजीत चतुर्वेदी) ने 14.10.1994 कथित घटना में आहत व्यक्तियों की रिपोर्ट तैयार की , जो प्रदर्श क-2 लगायत 10 है। प्रदर्श क-7, 8, 9, 10 का मुआयना दिनांक 18.10.1994 को हुआ है। कुछ चुटहिलों में समयावधि में डाक्टर ने लिखा है कि कोई राय नहीं दी जा सकती है मार्फत अदालत ने डाक्टर अजीत चतुर्वेदी के बयानों में उसी दिन का आशय का मतलब दिनांक 18.10.1994 लगा लिया है और No Opinion में भी दी गयी समयावधि को भी इन्होने दिनांक 14.10.1994 मार्फत अदालत ने समझ लिया है। दौरान बहस यह बताया गया कि No Opinion का मतलब कोई समयावधि नहीं बतायी जा सकती है। इस चिकित्सीय तथ्य को दरकिनार करते हुए अवैधानिक व्याख्या की गयी है। पी0 डब्लू0 -1 प्रेमचन्द्र ने भी अभियोजन साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है और नामित मुल्जिमानों की गिरफ्तारी नहीं की है व साक्षी पी0 डब्लू0 2 ने जो मुहर्रिर के रूप में तैनात था और गेट से 20 गज की दूरी पर था, उसने भी किसी नामित अभियुक्त को घटना स्थल पर नहीं देखा और जी०डी० सं० 29 (कायमी मुकदमा तारीखी 14.10.1994 समय 22.15) फोटोकापी दाखिल की है, जोकि साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। समय रात 9.45 बजे की घटना दिखाई गयी है और 10.15 बजे रात में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। इस आधे घन्टे के अन्दर घटना होती है और मुल्जिमान गिरफ्तार हो जाते हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लिख जाती है। पुलिस का इतना शीघ्र कार्य कर रिपोर्ट लिख जाना पुलिस की कार्यवाही में प्रश्न चिन्ह लगाता है और इसी बीच में 500 आदमी

की भीड़ को पुलिस तितर बितर भी कर देती है। इस तथ्य को भी दौरान बहस मार्फत अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसको नजरन्दाज किया गया है। पी 0 डब्लू0 4, पी0 डब्लू0 5, पी0 डब्लू0 6, पी0 डब्लू0 7, पी0 डब्लू0 8, पी0 डब्लू0 9 यह सभी चश्मदर्शी गवाहान है। इन सभी गवाहानों के बयानों में एकरुपता नहीं है। सभी में विरोधाभास है और गवाहान ने मुल्जिमानों की नाम व पहचान में संशय व मौजूदगी पर एकरुपता नहीं है। इससे भी अभियोजन का केस पूर्ण तरह से साबित नहीं होता है। बल्कि घोर सन्देह के घेरे में आता है और गवाहान का मुल्जिमान और घटना की प्रकृति में विरोधाभाव साधारण नहीं कहे जा सकते है। घटना में पथराव 500-600 आदमियों का करने से थाना परिसर में ईंट , पत्थर प्रचुर मात्रा में होने चाहिये। इन ईंट , पत्थर की मौजूदगी के बारे में गवाहान , विवेचक व वादी सब मौन है और न ही नक्शा नजरी में कोई ईंट, पत्थर की मौजूदगी दिखाई गयी है व थाना परिसर को नक्शा नजरी में साफ सुधरा दिखाया गया है। इस तथ्य से भी अभियोजन का केस झूठा साबित होता है और अधीनस्थ न्यायालय को दौरान बहस भी इस तथ्य पर भी ध्यान आकर्षित कराया लेकिन इस तथ्य को नजरन्दाज किया है। प्रदर्श क- 11 में कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुये, इसका कोई उल्लेख नहीं है और वाहन कौन से थे, इसका भी उल्लेख नहीं किया है। पी 0 डब्लू0 11 व पी0 डब्लू0 12 ने दिनांक 16.10.1994 को गाडी नं 0 यू0 पी0 91-6393, यू०पी० 93-001 और यू0 जी0 आई-3831 व यू0 जी0 जे0-4235 क्षतिग्रस्त गाडियों का मुआयना किया। जिस पर प्रदर्श क 13, 14, 15, 16 साबित किया है। विस्मय की बात है कि इन किसी गाडियों के स्वामित्व के प्रमाण पत्र नहीं दिखे और स्वामियों का नाम बताने में असमर्थ रहे। गवाहान ने वाहन कौन से थे , जो क्षतिग्रस्त हुये यह स्पष्ट रुप से नहीं बता पाये। वाहन क्षतिग्रस्त थाने में खडे होते हुये भी वादी ने वाहनों का नम्बर का उल्लेख अपनी सूचना प्रदर्श क - 11 में नहीं किया। कुछ गवाहान ने तो मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई थी। इसका भी उल्लेख किया है , लेकिन पत्रावली में मोटरसाइकिल का कोई भी उल्लेख कहीं भी नहीं है और ज्यादातर गवाहों ने तो मोटरसाइकिल का नाम भी नहीं लिया। इस तरह से वाहनों का मुआयना भी सन्देह के घेरे में आता है और लगता है कि झूठी प्रदर्श क - 11 और झूठे मुकदमे को बल देने के लिये फौरी तौर पर प्रदर्श क - 13, 14, 15 व 16 बनाये गये है। घटना के समय बी०एस०पी० की सरकार थी और कथित मुल्जिमान सभी भा०ज०पा पार्टी से सम्बन्ध रखते थे। मौदहा के बसीरुद्दीन बी० एस०पी० से मंत्री थे। राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता व दुर्भावना के स्वरुप स्थानीय पुलिस व प्रशासन को प्रभाव में लेकर यह झूठा मुकदमा स्थानीय पुलिस द्वारा लिखाया गया था। जोकि पत्रावली की साक्ष्य से भी परिलक्षित होता है और अपीलार्थी की कोई भी अपराधिक पृष्ठभूमिका नहीं है और मात्र राजनैतिक दुष्प्रेरणा का परिणाम भोग रहे है। कथित घटना स्थल आबादी का क्षेत्र है। वहां सिनेमा हाल व बाजार है। वहां पर रिहायशी मकान है। उनमें से कोई भी गवाहान बनकर पुलिस के सामने नहीं आया। कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सब पुलिसकर्मी व प्रशासन के गवाहान पेश हुये है और सभी गवाहान निपुण श्रेणी में आते है। पी0 डब्लू0 1 ने कहा कि पुलिस की गाडियों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। निपुण गवाहों ने जिस तरह की गवाही अधीनस्थ न्यायालय में दी है। उससे भी घटना और मुल्जिम दोनों झूठे साबित होते है और अपीलार्थी की निर्दोषिता साबित होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को तथ्य विरुद्ध, विधि विरुद्ध बनाते है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट "फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण" के आधार पर दर्ज की गई है। किसी पुलिस कर्मी या उपजिलाधिकारी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिये इस प्रकार पंजीकृत प्र०सू०रि० का कोई विधिक एवं साक्ष्यिक महत्व एवं मूल्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण में उल्लिखित इस तथ्य के संबंध में पत्रावली पर उन व्यक्तियों का साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिनके

द्वारा कब्रिस्तान से जुलूस न निकाले जाने के संबंध में समझौता होना कहा जाता है। अभियोजन ने सम्बन्धित साक्षीगण को पेश कर इस तथ्य को साबित नहीं कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विवादक पर विचार नहीं किया है। कथित जुलूस के मार्ग की लेखपाल आदि द्वारा नाप करने व विवादित मार्ग की भूमि कब्रिस्तान की होने के तथ्य पर भी अभियोजन ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई विचार नहीं किया है। कथित समझौता किस तारीख, महीना, सन से हुआ था और अपीलार्थीगण बादशाह सिहं आदि ने कथित समझौते का विरोध किया था। इस संदर्भ को भी अभियोजन ने कथित समझौते के समय मौजूद गवाह या पक्षकार को परीक्षित नहीं कराया है। कोई लिखित समझौतानामा पेश नहीं किया है। इस आरोप के सम्बन्ध में कि बादशाह सिंह व आदर्श सक्सेना , अरुण अग्रवाल आदि ने कुम्हरौडा जाकर साजिश कर व अपने निहित स्वार्थ तथा सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिये छोटेलाल सदस्य नगर पालिका व वंशगोपाल सैनी को समझौते को न मानने के लिये उकसाया था और उनकी पूरी मदद करने के लिये भी उकसाया था। इस संबंध मे कब्रिस्तान से निकालने व उसमें भी कथित उकसाने के वार्तालाप व साजिश के समय मौजूद किसी गवाह या पक्षकार को साक्ष्य मे परीक्षित नहीं कराया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर किसी साक्ष्य के इस तथ्य को सिद्ध मानकर भूल की है। अभियोजन ने साक्ष्य में श्रीमान अपर जिला जज हमीरपुर के उस आदेश को साक्ष्य मे पेश नहीं किया है , जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने से रोक लगा दी गई थी। वह आदेश किस तारीख को पारित किया गया था इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। किस व्यक्ति ने कथित आदेश थानाध्यक्ष को दिया था उसके नाम का भी उल्लेख नहीं है। थाने की जी०डी० को भी साक्ष्य मे प्रस्तुत कर उक्त आदेश को प्राप्त करने का तथ्य साबित नहीं कराया गया है। जिस मुस्लिम पक्षकार ने उक्त आदेश प्राप्त किया और थाने में दाखिल किया था, उसे भी साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार यह तथ्य भी सिद्ध नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर बिना किसी साक्ष्य के विश्वास करके भूल की है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा घटना कारित करने के लिये दुष्प्रेरण करने का कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है और न ही सामान्य उद्देश्य प्रकट होता है। फर्द गिरफ्तारी के अनुसार अपीलार्थीगण थाने के बाहर आकर उसे सामने से घेरकर जन समूह को उत्तेजित कर नारेबाजी करने लगे थे, अभद्र व्यवहार करने लगे। समझाने पर नहीं माने किन्तु अभियोजन साक्षी सं० - 8 पूरन सिंह तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राठ ने साक्ष्य दिया है कि जुलूस को लेकर तनाव को सुलझाने के लिये सम्भ्रान्त व्यक्तियों का बुलाया गया था जिनमें मुख्य रूप से आदर्श सक्सेना (डाक्टर), श्री शिववीरेन्द्र भटनागर (एडवोकेट), विवेक द्विवेदी, छोटेलाल, वंशगोपाल, जगत नारायण, बादशाह सिंह (पूर्व विधायक) (सभी अपीलार्थीगण) को बुलाया गया था। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को स्वयं पुलिस ने थाने बुलाया था जिस पर वे लोग वहाँ गये थे। अपीलार्थीगण ने भीड़ इकटठा कर थाने का घेराव किया था। यह तथ्य झूठा साबित हो जाता है। फर्द गिरफ्तारी में वादी ने केवल अभद्र व्यवहार किया जाना लिखा है। धार 161 द० प्र० सं० के साक्ष्य मे किसी साक्षी ने गालियों के वास्तविक शब्दों को नहीं बताया है जिससे किसी को अपमानित करने का एवं प्रकोपित करने का निष्कर्ष निकाला जा सके किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को धारा 504 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत दण्डित करके विधिक त्रुटि की है। कथित घटना के समय अभियोजन पक्ष के द्वारा पदीय कर्तव्य का कोई क्रियाशील निर्वहन नहीं किया जा रहा था और न ही तत्समय अपीलार्थीगण द्वारा उन्हें उस कार्य करने से विरत रखने के लिये किसी आपराधिक बल का प्रयोग करना आरोपित है। ऐसी दशा में धारा 353 भा० द०सं० का दोष सिद्ध नहीं होता है। अपीलार्थीगण को तो पुलिस एवं उपजिलाधिकारी के आमंत्रण पर थाने के अन्दर उपस्थित होकर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये मंत्रणा करने

का साक्ष्य क्षेत्राधिकारी पूरन सिंह ने दिया है। अभियोजन का साक्ष्य है कि दशहरा का जुलूस अभी कुम्हरौड़ा से चलना प्रारम्भ नंही हुआ था। कुम्हरौड़ा से कथित कब्रिस्तान की दूरी लगभग 4-5 किलोमीटर है। ऐसी दशा में बिना किसी कारण के थाने को घेर कर घटना कारित करने का कोई औचित्य ही नहीं था। जुलूस निकालने मे काब्रिस्तान के पास विवाद होने का कथन नहीं हैं। घटनास्थल पर विवेचक को ईटा पत्थर के कोई टुकड़े नहीं मिले थे जिनको मारकर आहतों को चोटें पहुँचाना कहा जा रहा है। किसने ईंटा पत्थर फेंककर किसको चोटें पहुँचाई , यह भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। अपीलार्थीगण पुलिस के साथ, थाना परिसर के अन्दर थे, उनके द्वारा ईंटा पत्थर मारकर थाने के अन्दर भारी पुलिस फोर्स के बीच मारपीट करना व एस०डी०एम० का कालर पकड़ना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है। कथित घटना के समय अपीलार्थीगण का सामान्य उद्देश्य भीड़ के साथ किसी को आहत करने का नहीं हो सकता था क्योंकि वे भीड़ के साथ नहीं थे। ऐसी दशा में उन्हें धारा 149 भा०द०सं० के सहयोग से भीड़ द्वारा किये गये कृत्य के लिये उत्तरदायी एवं दोषी नहीं माना जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थीगण द्वारा आपराधिक बलप्रयोग कर पुलिस कर्मियों एवं उपजिलाधिकारी को आहत करने के तथ्य को सिद्ध मानकर विधिक त्रुटि की है। चिकित्सक द्वारा पुलिस व प्रशासन के दबाव में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई हैं। भीड़ को बल प्रयोग कर नियंत्रित करते समय आहतों को मेडिकल रिपोर्टों में उल्लिखित चोटें आना भी संभव है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 336 भा0 द 0 सं0 के अन्तर्गत दोष सिद्ध मानकर त्रुटि की है। अभियोजन का कोई साक्षी यह स्पष्ट साक्ष्य नहीं दे पाया है कि ईंटा पत्थर फेंकने से कौन कौन सा किसका वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था और उसकी कितने रुपयों की क्षति हुई थी। इस संबंध मे पी 0 डब्लू0 12 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। उपजिलाधिकारी ने साक्ष्य नहीं दिया है कि उसकी जीप क्षतिग्रस्त हुई थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 427 द०प्र०सं० के अंतर्गत दोष सिद्ध मानकर विधिक त्रुटि की हैं। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है जबकि घटना आबादी के बीच की कही जाती है। इस प्रकार घटना स्थल संदिग्ध है। कथित घटना का समय भी संदिग्ध है। रात्रि 9-10 बजे कोई जुलूस नहीं निकाला जाता है। बसपा सरकार में तत्कालीन मंत्री वसीरउद्दीन द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिये यह झूठा मुकदमा कायम कराया था। सभी अपीलार्थीगण समाज के सम्मानित व प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन्हें धारा 360 द०प्र०सं० के अंतर्गत परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण ने कथित घटना कारित नहीं की है। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध युक्ति युक्त संदेह से परे आरोपित अपराध सिद्ध नहीं होते है। दण्ड बरकरार रखने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अवर न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश निरस्त कर अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने विद्वान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) तथा अभियुक्तगण/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अवर न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्हेंने कोई घटना कारित नहीं की है। फर्द बरामदगी पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। एस . डी. एम. साहब जिनके साथ अभद्रता होना कहा गया है , उन्हें पेश नहीं कराया गया है। चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियुक्तगण को राजनैतिक विद्वेष के कारण झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन साक्षियों के बयान से अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं होता है। साक्षी पी०डब्लू०-8 पूरन सिंह के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण की ओर से न तो कोई घटना कारित की गयी है और न ही किसी को उकसाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं

है। साम्प्रदायिक तनाव होना कहा गया है परन्तु जिस पक्ष से साम्प्रदायिक तनाव हो सकता था उस पक्ष का कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना स्थल आबादी का क्षेत्र होना कहा गया है जहाँ सिनेमा, बाजार, रिहायशी मकान हैं परन्तु कोई जनता का स्वतंत्र जनसाक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। रात्रि लगभग पौने दस बजे के करीब घटना होना कहा गया है तथा 10.15 बजे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इतनी कम अवधि में भीड़ को तितर बितर कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर सारी कार्यवाही पूर्ण करते हुए एफ. आई. आर. दर्ज कराने से स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा एन्टीटाइम एफ. आई. आर. दर्ज की गयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे साबित न होने के कारण अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य हैं।

इसके विपरीत विद्वान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण की ओर से साम्प्रदायिक तत्व कारित किये जाने हेतु भीड़ को इकट्ठा कर उकसाकर थाने पर पत्थरबाजी की गयी है। अभियोजन साक्षीगण ने घटना को संदेह से परे साबित किया है। मात्र पुलिस के साक्षी होने के कारण घटना को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। अभियुक्तगण द्वारा भीड़ को उकसाकर पत्थरबाजी करायी गयी है। अवर न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है वह तथ्य एवं विधि के अनुरुप है। अतः अभियुक्तगण की अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत अपील में मुख्य विचारणीय तथ्य यह है कि क्या अभियुक्तगण छोटेलाल प्रजापति आदि के द्वारा परगनाधिकारी मौदहा डी० एन० त्रिपाठी , श्री पूरन सिंह क्षेत्राधिकारी राठ एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण के साथ अभद्रता करते हुए लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित कराने के आशय से साशय अपमान करते हुए लोक सेवक को उनके कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित की गयी तथा लोक सेवक को उनके कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिये हमला या बल का प्रयोग किया गया तथा उत्तेजित होकर नारेबाजी करते हुए भीड़ को उकसाया गया तथा उनके उकसाने पर भीड़ के द्वारा पत्थरबाजी करते हुए पुलिस कर्मियों को चोंटे पहुँचायी और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया तथा अपने उक्त कार्यों से दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम को संकट उत्पन्न किया गया।

परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन की ओर से अपने मामले को साबित कराये जाने हेतु कुल 12 साक्षियों को पेश किया गया है। पी०डब्लू०-1 प्रेमचन्द्र का अपनी मुख्य परीक्षा में कथन है कि जुलूस में कौन थे , किसने पथराव किया था, उसको किसी के बारे में जानकारी नहीं है। यह साक्षी पक्षद्रोही है जिसके द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षा में कथन है कि यह कहना गलत है कि पुलिस विभाग से बर्खास्त होने के कारण वह गलत गवाही दे रहा है। पी०डब्लू० -2 श्यामलाल गुप्ता ने चिक कागज सं०-4 क को प्रदर्श क-1 के रुप में साबित किया है। अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी का कथन है कि उसने किसी भी अभियुक्तगण को अपनी आँखों से नहीं देखा था। पी०डब्लू० -4 कांस्टेबिल रमेशचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी का अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन है कि उसे यह ध्यान नहीं है कि मुल्जिमान और अधिकारियों के बीच कितनी देर जद्दोजहद हुई व भीड़ ने कितनी देर पत्थरबाजी की। घटना किसने की या किसने नहीं की , उसने नहीं देखा था क्योंकि बहुत भीड़ थी। गिरफ्तारी के समय 6-7 पुलिस कर्मी थे। इतना याद है। गिरफ्तारी के तुरन्त बाद फर्द बरामदगी लिखी गयी थी। फर्द गिरफ्तारी में गवाहान के हस्ताक्षर नहीं बनवाये थे। हस्ताक्षर न बनवाने का क्या कारण हो सकता है , वह नहीं बता सकता। गिरफ्तारी की फर्द थाने पर लिखी थी क्योंकि वही घटना स्थल था। यह कहना गलत है कि फर्द गिरफ्तारी में उसके हस्ताक्षर

इसलिये नहीं है कि वह मौके पर नहीं था और उसने कुछ नहीं देखा है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि फर्द बरामदगी में उसके व गवाहान के हस्ताक्षर नहीं हैं। आगे इस साक्षी को कथन है कि उसे जानकारी नहीं है कि मुख्य प्रजापतियों को किसने उकसाया था। घटना स्थल थाने पर गुम्मे व ईंटा पत्थर मौजूद थे या नहीं उसे याद नहीं है।

पी०डब्लू०-5 कांस्टेबिल रामचन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि बादशाह सिंह ने एस . डी. एम. का कालर पकड़ लिया। सब लोगों ने समझाया बुझाया कि अदालत का आदेश है , जुलूस कब्रिस्तान के रास्ते नहीं जायेगा। इतने में भीड़ उग्र हो गयी। ईंट पत्थर चलने लगे। इस प्रकार इस साक्षी की मुख्य परीक्षा से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तगण के कहने या उकसाने पर भीड़ के द्वारा नारेबाजी या पत्थरबाजी की गयी हो। इस साक्षी का कथन है कि आसपास के वासिंदों ने पूरी घटना को अपने घरों की छतों से देखा था। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन है कि बादशाह सिंह के द्वारा एस. डी. एम. का कालर पकड़ने वाली बात कही है उसे उसने दरोगा जी को बयान होते समय बताया था। दरोगा जी ने इस बात को उसके बयान 161 द०प्र०सं० के बयान में नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा उसकी कोई वजह वह नहीं बता सकता है। कौन पत्थर चला रहा था वह उसका नाम नहीं बता सकता है। मुल्जिमानों में से डा० आदर्श सक्सेना, रामदेव सिंह, ओमप्रकाश सिंह, लक्ष्मी नारायण, सुरेन्द्र द्विवेदी, विवेक आगे थे, पीछे मुल्जिमानों में से और कौन कौन था, वह नहीं बता सकता। पत्थर चलने के बाद बल प्रयोग करने पर यह लोग भाग ये। बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया। क्षतिग्रस्त गाड़ियों का नम्बर उसे याद नहीं है। कितनी गाड़िया क्षतिग्रस्त हुई थीं। यह भी उसे याद नहीं है। वह यह भी नहीं बता सकता है कि थाने की जीप क्षतिग्रस्त हुई थी अथवा सी०ओ० की गाड़ी अथवा पुलिस वैन क्षतिग्रस्त हुई थी। इस साक्षी का आगे प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसके किस हाथ या किस पैर में चोट आयी थी। आगे इस साक्षी का जिरह में कथन है कि स्थगन आदेश रखने के तीन चार घंटे बाद भीड़ द्वारा थाने पर पथराव किया गया था। इस साक्षी का आगे कथन है कि मुल्जिमान अपने आप थाना आये थे। मुल्जिमान पुलिस द्वारा पकड़कर नहीं लाये गये थे। इनको बुलाने के लिये कोई सम्मन सूचना नहीं जारी की गयी थी।

आगे इस साक्षी का कथन है कि उसने फर्द बरामदगी पर अपने हस्ताक्षर बना कर गवाही बनायी थी। फर्द में गवाही के लिये प्रेमचन्द्र , रमेशचन्द्र, दरोगा भरत सिंह, आर.के. सिंह आदि सभी लोगों ने हस्ताक्षर बनाये थे। फर्द गिरफ्तारी कागज सं० -5 ग को देखकर कथन किया है कि इस पर उसके व अन्य गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। फर्द गिरफ्तारी पर एकमात्र हस्ताक्षर श्री शिरिल प्रसाद के हैं। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से स्पष्ट होता है कि अभियोजन कथानक को बल देने के लिये इस साक्षी के द्वारा फर्द गिरफ्तारी पर सभी लोगों व गवाहों के हस्ताक्षर होने का कथन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है , जबकि पत्रावली पर उपलब्ध फर्द गिरफ्तारी पर एकमात्र निरीक्षक शिरिल प्रसाद के हस्ताक्षर हैं।

पी०डब्लू०-6 शिरिल प्रसाद प्रस्तुत मामले में वादी है तथा उन्हीं के द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है एवं फर्द पर एकमात्र हस्ताक्षर इसी साक्षी के हैं। इस साक्षी ने फर्द गिरफ्तारी को प्रदर्श क-11 के रुप में साबित किया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी का कथन है कि अदालत में निश्चित रूप से नहीं बता सकता है कि मुल्जिमान हैं कि नहीं। ध्यान देने पर वह शायद मुल्जिमान को पहचान सकता है। समझौते में जिन पाँच पाँच चुनिन्दा लोगों का जिक्र किया गया है इस समय उन व्यक्तियों के नाम याद नहीं हैं। आगे इस साक्षी का कथन है कि सभी मुल्जिमान बी. जे. पी. से संबंधित थे। मुल्जिमान भीड़ लेकर थाने आये थे। लगभग 15-20 मिनट रुके थे। मुल्जिमान ने रुकने पर नारेबाजी , अभद्र व्यवहार किया था। वह यह नहीं बता

सकता कि नारेबाजी को सुनकर आस पास की आबादी के लोग अपनी छतों पर आये थे कि नहीं क्योंकि उसका ध्यान नारेबाजी करती भीड़ पर था। भीड़ द्वारा नारेबाजी करने पर व अभद्र व्यवहार करने पर सी० ओ०, एस० डी०एम० व उसने उनको समझाने बुझाने और शांत करने के प्रयास किये थे। लगभग 5-7 मिनट उनको समझाया था। वह सुनने को तैयार नहीं हुए और उसी बीच पत्थरबाजी शुरु कर दी तो ये लोग पीछे हट आये। भीड़भाड़ में कुछ लोग अन्दर घुस आये थे, थाना परिसर में। वह नाम नहीं बता सकता है कि थाना परिसर में कौन कौन घुस आये थे। उस समय भीड़ को तितर बितर करने के लिये हल्का बल प्रयोग किया गया था। उसे इतना याद है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में से डा० आदर्श सक्सेना, ओमप्रकाश, लक्ष्मीनारायण के नाम याद हैं, बाकी नाम उसे इस समय याद नहीं आ रहे हैं। मुल्जिमान द्वारा की गयी पत्थरबाजी में मेला डियूटी में बाहर से उपलब्ध कराये गये स्थल में से कुछ लोग चुटहैल हुए थे जिनके नाम इस समय उसे ध्यान नहीं हैंम। थाने के तैनात स्टाफ में कौन कौन चुटहिल हुए थे, यह भी उसे याद नहीं आ रहा है। मात्र इस साक्षी के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में पुलिस वालों को गालियाँ देने का कथन किया गया है। भीड़ द्वारा पुलिस वालों को गालियों का विवरण देते हुए गालियाँ देने का कथन किया गया है। आगे इस साक्षी का कथन है कि आई .ओ. ने इन नारो व गालियों को अपने धारा 161 द०प्र०सं० के बयान में क्यों नहीं लिखा वह इसका कारण नहीं बता सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के द्वारा अपने धारा 161 के बयान में विवेचक को ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि अभियुक्तगण एवं भीड़ के द्वारा पुनः कोई विशिष्ट गालियाँ दी गयी हों। आगे इस साक्षी का कथन है कि जुलूस चला नहीं था , चलने की तैयारी कर रहे थे। यह विवाद थाने पर हुआ था। पाँच छः सौ लोगों की भीड़ को अभियुक्तगण लेकर आये थे। यह पत्थराव भीड़ व अभियुक्तों ने पुलिस पर किया था। यह पथराव कुछ ही देर हुआ था। उस समय किसी कमेटी की मींटिग नहीं हो रही थी न ही परगनाधिकारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। साक्षी प्रस्तुत मामले का वादी है। इस साक्षी के बयान से स्पष्ट होता है कि उसने अपनी मुख्य परीक्षा कथित छः अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पौने दस बजे रात्रि में होना कहा है तथा फर्द गिरफ्तारी पर इस साक्षी के अलावा किसी भी अन्य लोक सेवक, पुलिस बल एवं अभियुक्तगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस साक्षी ने भीड़ द्वारा नारेबाजी व अभद्र व्यवहार तथा पत्थरबाजी करने का कथन किया है। इस साक्षी के साक्ष्य से भी संदेह से परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा भीड़ को पत्थरबाजी के लिये उकसाया गया हो एवं लोक सेवकों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर उन पर आपराधिक बल का प्रयोग कर उनको अथवा वाहनों को कोई क्षति पहुँचायी गयी है।

पी०डब्लू०-7 चन्द्रपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा का अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि घेराव के समय थाने पर एस. डी. एम. मौदहा, क्षेत्राधिकारी मौदहा, एस. एच. ओ. मौदहा, एस. ओ. ललपुरा व कुछ कांस्टेबिल मौजूद थे। इस भीड़ को पहले क्षेत्राधिकारी द्वारा भीड़ को काफी समझाया बुझाया गया था जिससे भीड़ ने उत्तेजित होकर थाने पर पत्थर फेंकने लगे और कुछ लोग एस. डी. एम. का कालर पकड़ कर अभद्रता करने लगे। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस अभियुक्त द्वारा एस. डी. एम. का कालर पकड़ कर अभद्रता की गयी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी का कथन है कि वह अभियुक्तगण में से डा० आदर्श कुमार सक्सेना , बादशाह सिंह, अरुण कुमार अग्रवाल को जानता है अन्य व्यक्तियों को नहीं जानता है। भागे हुए व्यक्तियों के नाम कागज में लिखे हुए आधार पर बता रहा है। व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित लोगों को देखकर कहा कि उसे याद नहीं है कि इनमें से कोई घटना स्थल पर मौजूद था या नहीं। जब भीड़ ने थाना घेर लिया था तो अधिकारी भीड़ के पास थे। उसे याद नहीं है कि उस समय कौन कौन लोग वहाँ उपस्थित थे। उसे यह भी नहीं पता है मुस्लिम समुदाय के कौन

कौन लोग वहाँ थे या नहीं। वह नहीं बता सकता कि कितनी मोटरसाइकिल व जीप क्षतिग्रस्त हुई थी। वह क्षतिग्रस्त हुए किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर भी नहीं बता सकता। घटना के दिन साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए स्पेशल डियूटी लगायी गयी थी। विजयदशमी के कारण नगर पालिका द्वारा सफाई हुई थी इसलिये थाना परिसर के बाहर स्थान साफ सुथरा था। फर्द गिरफ्तारी एस. एच. ओ. महोदय ने लिखी थी इसमें उसके हस्ताक्षर नहीं है। केवल शिरिल प्रसाद के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से भी यह स्पष्ट होता है कि भीड़ के द्वारा घटना कारित की गयी थी। इस साक्षी के बयान से यह संदेह से परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा भीड़ को उकसाकर घटना कारित की गयी हो।

अभियोजन की ओर से पी०डब्लू० -8 के रुप में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राठ पूरन सिंह को परीक्षित कराया गया है। यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि एस . डी. एम. मौदहा के अतिरिक्त पूरन सिंह घटना स्थल पर बड़े अधिकारी थे। इस साक्षी की मुख्य परीक्षा से स्पष्ट होता है कि रात्रि लगभग पौने दस बजे संभ्रान्त व्यक्तियों लगभग तेरह लोगों को जुलूस को लेकर चल रहे तनाव को लेकर थाना मौदहा पर बुलाया गया था तथा काफी समझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने और परगनाधिकारी व अन्य लोगों से अभद्रता करने लगे, इसी बीच लगभग पाँच छः सौ लोगों ने कस्बे की तरफ से आकर थाने को घेर लिया और नारेबाजी करने लगे कि जुलूस प्रत्येक दशा में पहले वाले रास्ते से ही जायेगा। जब भीड़ काफी अभद्रता करने लगी तो पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया तथा आदर्श सक्सेना आदि छः लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर भीड़ ने पुलिस एवं थाने पर पथराव किया जिससे उसे व अन्य लोगों को चोटें आयी थीं। इस साक्षी ने अपने बयान में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा अधिकारीगण के साथ अभद्रता करते हुए लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित कराने के आशय से साशय अपमान करते हुए लोक सेवक को उनके कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित की गयी तथा लोक सेवक को उनके कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिये हमला या बल का प्रयोग किया गया तथा उत्तेजित होकर नारेबाजी करते हुए भीड़ को उकसाया गया तथा उनके उकसाने पर भीड़ के द्वारा पत्थरबाजी करते हुए पुलिस कर्मियों को चोंटे पहुँचायी और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया तथा अपने उक्त कार्यों से दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम को संकट उत्पन्न किया गया। क्योंकि इस साक्षी का कथन है कि जब इन लोगों से वार्ता चल रही थी तब पाँच छः सौ लोगों ने थाने को आकर घेर लिया था और नारेबाजी की थी। उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने पर भीड़ ने उत्तेजित होकर थाने पर पथराव किया था। अतः इस साक्षी की मुख्य परीक्षा से यह भी साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा भीड़ को उकसाया गया हो अथवा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर लोक सेवक को भयोपरत कर उपहति कारित की गयी है एवं पत्थरबाजी कर तोड़ फोड़ की गयी हो। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षा में कथन है कि मुल्जिमानों द्वारा तत्कालीन परगनाधिकारी श्री डी .एल. त्रिपाठी का कालर पकड़ा गया था एवं अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उस समय कई लोगों ने कालर पकड़ा था। उनके नाम वह नहीं बता सकता। कितनी जीपें व मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई थीं , वह नहीं बता सकता। मौदहा की शांतिव्यवस्था के कारण जनपद के अन्य महत्वपूर्ण कस्बों में भी साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका के कारण उसे उसके सर्किल मुख्यालय राठ पर ही उपस्थित रहने के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया था एवं सभी जगह स्थिति सामान्य हो जाने के बाद दिनांक 18.10.94 को उसने अपना चिकित्सीय परीक्षण मौदहा में करवाया । मात्र उसके दाहिने हाथ की कलाई खरोंच आयी थी। यह बात सत्य है कि राठ पी. एच. सी. में भी परीक्षण हो सकता था किन्तु चूँकि प्रकरण मौदहा का था इसलिये मौदहा में ही कराया गया। इस प्रकार यह साक्षी मौके पर वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी है। इस साक्षी के साक्ष्य की

विवेचना से साक्षी के बयान से भी अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना संदेह से परे साबित नहीं होती है।

पी०डब्लू०-9 आर. के. गौतम ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षा में कथन है कि वह यह नहीं बता सकता कि किस अभियुक्त ने एस.डी. एम साहब का कालर पकड़ा। आदर्श सक्सेना आदि अभियुक्तगण में से किसी ने पकड़ा होगा। न्यायालय का आदेश किसी अधिकारी ने पढ़कर सुनाया था , किन्तु किस अधिकारी ने पढ़कर सुनाया था उसे याद नहीं है। अधिकारीगण थाना परिसर के अन्दर से मुल्जिमानों को समझा रहे थे। उस समय कुछ मुल्जिमान थाना परिसर के अन्दर थे , कुछ बाहर थे। कौन अभियुक्त अन्दर था व कौन अभियुक्त बाहर था, वह उसका नाम नहीं बता सकता। उसने अपने बयानों मं विवेचक को क्षतिग्रस्त वाहनों के नम्बर नहीं बताये थे। उसे ध्यान नहीं आ रहा है कि मुल्जिमानों को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से भी यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा पत्थरबाजी करते हुए हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग कर लोक सेवकों को भयोपरत करते हुए कोई क्षति पहुँचायी हो एवं वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया हो।

पी०डब्लू०-10 परमहंस मिश्र प्रस्तुत मामले के विवेचक है , जिसने नक्शा नजरी को प्रदर्श क-11, आरोप पत्र प्रदर्श क-12 के रूप में साबित किया है तथा प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी का कथन है कि थाने के गेट से उस पार आबादी थी और बीच में सब्जी मण्डी थी। उसने पब्लिक के गवाहों के बयान नहीं लिये थे क्योंकि पब्लिक के गवाह नहीं थी। उसने अपने 161 के बयानों में टूटे वाहनों का विवरण, नम्बर संख्या एवं प्रकार नहीं दिया है। अगर वादी ने वाहन का नम्बर, प्रकार व संख्या बताया होता तो वह जरूर लिखता। वाहनों के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में किसी गवाह ने नम्बर, प्रकार व संख्या विशेष रुप से नहीं बतायी। यह कहना गलत है कि घटना स्थल में परथाव करने की कोई सामग्री मौजूद न रही हो इसलिये उसने नक्शा नजरी में न दिखाया हो। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि आबादी का क्षेत्र होने के बावजूद उसके द्वारा जनता के किसी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया है और न ही वादी के द्वारा उसे घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों का कोई विवरण दिया गया है।

पी०डब्लू०-11 पल्टूराम तत्कालीन सीनियर फोरमैन तथा पी०डब्लू० -12 प्रेमनारायण पाण्डेय तत्कालीन एस. आई. एम. टी. पुलिस लाइन हमीरपुर को अभियोजन की ओर से इस आशय से परीक्षित कराया गया है कि उनके द्वारा क्षतिग्रस्त वाहनों की टैक्निकल रिपोर्ट तैयार की गयी है। पी०डब्लू०-11 पल्टूराम ने टैक्नीकल रिपोर्ट प्रदर्श क-13, 14 व 15 को साबित किया है। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षा में कथन है कि उसे लिखित में मुकदमें से संबंधित क्षतिग्रस्त वाहनों की जाँच का कोई लिखित आदेश नहीं मिला था। उसने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि गाड़ी संख्या यू०पी० 91-6393 कितने समय पूर्व क्षतिग्रस्त हुई थी, न ही उसने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि गाड़ी सं० -यू०पी० 93-0001 के क्षतिग्रस्त होने की क्या वजह थी और न ही उसने गाड़ी की क्षतिग्रस्त होने की अवधि अपनी रिपोर्ट में लिखी है। थाना परिसर के अन्दर तीन गाड़ियों के अतिरिक्त और बहुत सी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त खड़ी थी , उसने अपनी रिपोर्ट में वाहन के प्रकार जीप, बस आदि का विवरण नहीं दिया है। गाड़ी को क्षतिग्रस्त होने की संभावित वजह भी अपनी रिपोर्ट प्रदर्श क -14 व 15 में अंकित नहीं की है। उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श क-13, 14 व 15 में यह भी उल्लेख नहीं किया है कि जिन गाड़ियों का टैक्नीकल मुआयना किया गया है उन गाड़ियों की पहचान कि यही गाड़ियाँ घटना से संबंधित है किन व्यक्तियों ने करायी थी। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से यह संदेह से परे साबित नहीं होता है कि उसके

द्वारा उन्हीं गाड़ियों का टैक्नीकल मुआयना किया गया है जो भीड़ द्वारा पथराव करके क्षतिग्रस्त की गयी थी।

पी०डब्लू०-12 प्रेमनारायण पाण्डेय ने अपनी टैक्नीकल रिपोर्ट को प्रदर्श क -16 के रुप में साबित किया है। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षा में कथन है कि वह इस बारे में पूर्ण बात नहीं बता सकता कि वाहन में ईंट , पत्थर आदि विशेष लगे थे या नहीं। वह यह भी नहीं बता सकता कि किस प्रकार का दाग थे। वाहन के अन्दर उसने कोई ईंट , पत्थर आदि कोई वस्तु पड़ी नहीं देखी। वाहन के बौनट व हुड के ऊपर भी कोई ईंट या पत्थर नहीं पाया गया। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से भी यह संदेह से परे साबित नहीं होता है कि जिन कथित क्षतिग्रस्त वाहनों को मुआयना उसके द्वारा किया गया है वे अभियुक्तगण एवं भीड़ द्वारा क्षतिग्रस्त किये गये हैं।

किसी भी मामले को संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन का होता है। जब तक अभियोजन मामले को संदेह से परे साबित नहीं करता है तब तक अभियुक्तगण को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि पी०डब्लू०-8 पूरन सिंह क्षेत्राधिकारी राठ मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे। उनकी साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध साबित नहीं होता है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू० -8 पूरन सिंह द्वारा अपनी साक्ष्य में कहा है कि जुलूस को लेकर चल रहे तनाव को सुलझाने हेतु कस्बे के लगभग 13 संभ्रान्त लोगों को थाना मौदहा बुलाया था। उक्त व्यक्तियों को ही बाद में प्रस्तुत मामले में अभियुक्त बनाया गया है। इस साक्षी का कथन है कि शांतिपूर्ण वातावरण में वार्ता करने हेतु इन लोगों को समझाया बुझाया गया किन्तु उक्त लोग उत्तेजित होकर परगनाधिकारी श्री डी एन त्रिपाठी व अन्य लोगों से अभद्रता करने लगे। इसी बीच लगभग पाँच छः सौ लोगों ने कस्बे की ओर से आकर थाने पर नारेबाजी की। भीड़ द्वारा अभद्रता करने पर हल्का बल प्रयोग कर छः लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया , जिस कारण भीड़ ने उत्तेजित होकर भीड़ ने पुलिस एवं थाने पर पथराव किया। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से अधिकतम यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा अभद्रता की जा रही थी। इस साक्षी के बयान से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग कर लोक सेवकों को भयोपरत करके चोट पहुँचायी गयी हो एवं वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया हो। इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण से वार्ता के समय भीड़ द्वारा थाने को घेर लेने तथा पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर छः लोगों को मौके से गिरफ्तार करने पर भीड़ ने पुलिस व थाने पर पथराव किया था। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा भीड़ को ऐसे किसी कार्य के लिये उकसाया गया हो अथवा अभियुक्तगण द्वारा पुलिस बल पर पथराव करते हुए उनके कार्य में व्यवधान पैदा कर उन्हें तथा वाहनों को क्षति कारित की गयी हो।

अभियुक्तगण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत मामले में क्षेत्राधिकारी राठ के अतिरिक्त मौके पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारी परगनाधिकारी मौदहा श्री डी एन त्रिपाठी को परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित नहीं होता है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन कथानक के प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के द्वारा परगनाधिकारी श्री डी . एन. त्रिपाठी के साथ अभद्रता करना व घटना कारित करना कहा गया है परन्तु अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी परगनाधिकारी श्री डी . एन. त्रिपाठी को साक्ष्य में भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के साक्ष्य से यह साबित हो सकता था कि अभियुक्तगण द्वारा उन पर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उन्हें भयोपरत करके क्षति पहुँचायी गयी हो।

अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य से भी घटना की पुष्टि नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू० -8 पूरन सिंह, पी०डब्लू०-5 रामचन्द्र सिंह के द्वारा अपना चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 18.10.1994 को कराया गया है। पी०डब्लू०-8 पूरन सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके ऐसी चोट नहीं थी जिसका इलाज कराया जाता। यह बात सही है कि उसका पी .एच.सी. राठ में भी चिकित्सीय परीक्षण हो सकता है परन्तु इस साक्षी द्वारा घटना के चार दिन बाद विलम्ब से चिकित्सीय परीक्षण कराने से यह प्रतीत होता है कि घटना को बल देने के लिये चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन के द्वारा घटना दिनांक 14.10.1994 को रात्रि 09.45 बजे की होना कहा गया है। पी०डब्लू०-3 डा० अजीत चतुर्वेदी का अपनी मुख्य परीक्षा में कथन है कि दिनांक 14.10.1994 को उसके द्वारा 6.45 पी०एम० पर प्रेमचन्द्र , 7.15 पर पूरन सिंह, 6.55 पर रामचन्द्र व 7.05 पी. एम. पर रमाकान्त मिश्रा का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। जबकि उक्त सभी व्यक्तियों के चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 18.10.1994 की तिथि में किये गये हैं। इस साक्षी के बयान के अनुसार 09.45 बजे रात्रि को घटना होने के पूर्व ही उपरोक्त चुटहिलों के परीक्षण हो चुके हैं। अतः पी०डब्लू० -3 अजीत चतुर्वेदी का बयान से अभियोजन की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ जाती है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का यह भी तर्क है कि घटना शहर के बीच थाने में होना कहा गया है परन्तु किसी स्वतंत्र जनसाक्षी का न होना अभियोजन कथानक के लिये घातक है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में साम्प्रदायिक तनाव के कारण घटना थाना मौदहा जो कि आबादी के बीच होना कहा गया है, पर कारित होना कहा गया है परन्तु अभियोजन की ओर से न तो दूसरे साम्प्रदाय के किसी साक्षी को और न ही किसी स्वतंत्र जनसाक्षी को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया जिससे अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है। यह सही है कि पुलिस के साक्षी का साक्ष्य भी अन्य साक्षियों के समान होता है परन्तु ऐसी स्थिति में जहां अभियोजन के मामले को संदेह से परे साबित करने के लिये पुलिस साक्षीगण का साक्ष्य पर्याप्त न हो वहाँ स्वतंत्र जनसाक्षी की अनुपस्थिति घटना को संदिग्ध बना देती है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण को थाने पर बुलाकर उनकी जबरदस्ती गिरफ्तारी कर ली गयी है। किसी अन्य अभियोजन साक्षी फर्द गिरफ्तारी पर न तो हस्ताक्षर है और न ही अभियुक्तगण के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि फर्द गिरफ्तारी पर एकमात्र हस्ताक्षर पी०डब्लू० -6 शिरिल प्रसाद निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के हस्ताक्षर फर्द पर नहीं हैं। पी० डब्लू०-5 का अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन है कि उसने फर्द गिरफ्तारी में अपने हस्ताक्षर बनाकर गवाही बनायी थी। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श 5 क को देखकर साक्षी का कथन है कि इस फर्द गिरफ्तारी पर उसके अथवा किसी अन्य गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। फर्द गिरफ्तारी पर एकमात्र हस्ताक्षर निरीक्षक शिरिल प्रसाद के हैं। फर्द गिरफ्तारी पर किसी भी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर न होने के कारण अभियुक्तगण के इस तर्क को बल मिलता है कि कुछ अभियुक्तगण को थाने पर बुलाकर मामले को बल देने के लिये जबरदस्ती गिरफ्तारी दिखायी गयी है जबकि वास्तव में अभियुक्तगण के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टीटाइम दर्ज की गयी है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू०-8 पूरन सिंह क्षेत्राधिकारी राठ का कथन है कि रात्रि करीब पौने दस बजे कस्बे के संभ्रान्त व्यक्तियों को बात करने हेतु बुलाया गया था। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को वार्ता के लिये बुलाना , वार्ता करना, अभियुक्तगण द्वारा उनसे अभद्रता करना, भीड़ द्वारा उत्तेजित होना, पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करना, भीड़ द्वारा नारेबाजी व पत्थरबाजी करना तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी दिखाकर समय 10.15 बजे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मात्र आधे घण्टे की अवधि में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मामला पंजीकृत किये जाने से अभियुक्तगण के इस कथन को बल मिलता है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टीटाइम दर्ज की गयी है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का यह भी तर्क है कि अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 336 भा०द०सं० में दो वर्ष का साधारण कारावास दिया गया है जो कि विधि के अनुरूप नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें धारा 336 भा०द०सं० में दो वर्ष का जो कारावास दिया गया है वह विधि के अनुरूप नहीं है।

यहाँ पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान डॉ० आदर्श सक्सेना की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध मामला दिनांक 29.09.2020 को एवं अभियुक्त जगत नारायण की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध मामला दिनांक 20.09.2021 को उपशमित हो चुका है।

प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन व परिशीलन से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ओमप्रकाश , रामदेव सिंह, विवेक त्रिवेदी, सुरेन्द्र प्रसाद , लक्ष्मी नारायण , अरूण कुमार, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल, शिव बीरेन्द्र भटनागर , जयकरन सिंह एवं बादशाह सिंह द्वारा परगनाधिकारी मौदहा डी०एन० त्रिपाठी, श्री पूरन सिंह क्षेत्राधिकारी राठ एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण के साथ अभद्रता करते हुए उत्तेजित होकर नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी कर लोक सेवकों के राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर क्षति पहुँचायी गयी है तथा भीड़ को उकसाया गया हो जिससे भीड़ के द्वारा पत्थरबाजी करते हुए पुलिस कर्मियों को चोंटे पहुँचायी और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। अतः

अभियुक्तगण ओमप्रकाश, रामदेव सिंह, विवेक त्रिवेदी, सुरेन्द्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, अरूण कुमार, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल, शिव बीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह एवं बादशाह सिंह के विरुद्ध धारा-147, 332, 353, 336, 427, 504 भा०द०सं० का आरोप सन्देह से परे साबित नहीं होता है ।

अतः अवर न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण ओमप्रकाश, रामदेव सिंह, विवेक त्रिवेदी, सुरेन्द्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, अरूण कुमार, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल, शिव बीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह एवं बादशाह सिंह को दोषी पाते हुए उन पर जो कारावास एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, वह विधि एवं तथ्य के अनुरुप नहीं है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार किये जाने योग्य तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय /आदेश दिनांकित 19.09.2022 विधि एवं तथ्य के अनुरुप न होने के कारण निरस्त होने योग्य है एवं अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रस्तुत आपराधिक अपील सं०- 28/2022 छोटेलाल प्रजापति आदि बनाम राज्य, अपील सं०- 30/2022 रामदेव सिंह आदि बनाम राज्य एवं अपील सं०- 31/2022 अरुण अग्रवाल बनाम राज्य स्वीकार की जाती हैं। अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय /आदेश दिनांकित 19.09.2022 अपास्त किया जाता है । अभियुक्तगण ओमप्रकाश, रामदेव सिंह, विवेक द्विवेदी, सुरेन्द्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, अरुण कुमार, छोटेलाल प्रजापति, वंशगोपाल, शिव बीरेन्द्र भटनागर, जयकरन सिंह एवं बादशाह सिंह को धारा-147, 332, 353, 336, 427, 504 भा०द०सं० के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उन्मोचित किया जाता है ।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में मु 0- 25,000- 25,000/- रूपये के दो -दो जमानते एवं समान धनराशि का बन्धपत्र इस आशय के दाखिल किए जा चुके हैं कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में योजित होती है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें तलब किए जाने पर अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे ।

इस निर्णय की प्रति एवं अवर न्यायालय की मूल पत्रावली अविलम्ब अवर न्यायालय को भेजी जाए तथा इस निर्णय/आदेश की एक एक प्रति संबंधित दाण्डिक अपीलों की पत्रावलियों में रखी जाये।

दिनांक-07.02.2023 (चन्द्रभान सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0- 1

विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए.,हमीरपुर

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-07.02.2023 (चन्द्रभान सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0- 1

विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए.,हमीरपुर